उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन–456010 (म.प्र.)

ई–निविदा प्रपत्र

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा कराये जाने वाले मरम्मत एवं छोटे सिविल निमार्ण कार्य हेतु एस.ओ.आर. दर निर्धारण हेतु द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन– 456010 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527071

E-mail : udsplant@yahoo.com

ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@yahoo.com G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांकःउ.दु.स. / यॉंत्रिकी / नस्ती क्रं.91 / 2020 / 4965 दिनांकः 08.12.2020

ई–निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा पंजीकृत सिविल ठेकेदारों से उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा कराये जाने वाले मरम्मत एवं छोटे सिविल निर्माण कार्य हेतु प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर (नवीन एवं संशोधित) की दर निर्धारण हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित पूर्ण नियम शर्त अनुसार कार्य किया जाना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 1,000.00 (रू. एक हजार मात्र) ऑनलाइन मध्यप्रदेश ई–टेण्डर की वेबसाइट (www.mptenders.gov.in) पर भुगतान कर दिनांक 09.12.2020 से क्रय की जा सकती है। निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट (www.mpcdf.gov.in) पर भी देखा जा सकता है। ई–निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक 24.12.2020 है। समस्त निविदा अथवा किसी एक निविदा को स्वीकार, अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@gmail.com **G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB**

	ई–निविदा प्रपत्र	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1,000/– (अक्षरी– रूपये एक हजार मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय करने की दिनांक एवं समय।	दिनांकः 09.12.2020 दोपहर 03:00 बजे से
2.	ई–निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः 24.12.2020 दोपहर 02:00 बजे तक
3.	ई–निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय केवल ऑनलाइन	दिनांकः 24.12.2020 दोपहर 02:00 बजे तक
4.	ई–निविदा के तकनीकी प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांकः 26.12.2020 दोपहर 3:00 बजे
5.	ई–निविदा के वित्तीय प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी अंहेता पूर्ण होने के उपरांत।
6.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010
7.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.) 456010
8.	संलग्न प्रपत्र	01– परिशिष्ट–(अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02– परिशिष्ट–(ब), निविदाकर्त्ता की जानकारी 03– परिशिष्ट–(स), शपथ पत्र (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्त्ता को भरना है।) 04– परिशिष्ट–(द), दर प्रपत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

-:निविदा कार्य:-

1. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के अधीन उज्जैन एवं अन्य दुग्ध संयंत्रों/दुग्ध शीत केन्द्रों पर सिविल कार्य करने हेतु ई-निविदा आमंत्रण। सिविल निर्माण/मरम्मत कार्य राशि रू. 2.00 लाख (रू दो लाख मात्र) से कम के कार्य ही कराये जायेगें।

2. ई-निविदा प्रपत्र एम.पी. ई-टेण्डर के पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर राशि रू. 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र) ऑनलाइन जमा कर क्रय की जा सकती है।

3. निर्धारित समय तक भरे गये ई-निविदा की दर कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के प्रांगण में एम.पी. ई-टेण्डर **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से दिनांक 26.12.2020 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जावेगी।

4. निविदा प्रपत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ही अपलोड किये जाने है। वित्तीय प्रपत्र मे प्रस्तुत एसओआर दर में जीएसटी अतिरिक्त रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

परिशिष्ट–'अ'

सामान्य नियम एवं शर्ते

1(अ). निर्धारित समय तक ऑनलाइन भरे गये ई–निविदा की दर कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के प्रांगण में एम.पी. ई–टेण्डर **www.mpetendrs.gov.in** के माध्यम से दिनांक .... को दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जावेगी।

1(ब). निविदाकार को राशि रुपये 50,000.00 (रू. पचास हजार मात्र), अमानत राशि ऑनलाइन भुगतान किया जाना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.(अ) निविदाकार को 'बी' या 'सी' क्लास ठेकेदार का जिनका पंजीयन मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में होना अनिवार्य हैं। तथा जिसका वर्तमान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा, जिसके अभाव में निविदा प्रपत्र निरस्त किया जावेगा।

2.(ब) निविदाकार अथवा संस्था को कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय मे वैध पंजीकरण अनिवार्य है एवं प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदाप्रपत्र निरस्त की जावेगी।

3(अ). वर्तमान पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर बिल्डिंग (01.08.2014), विद्युत (01.08.2014) सड़क एवं सेतु (03.11.2014), 2017 (Latest Amendment यदि हो) से कम या ज्यादा के आधार पर न्यूनतम दर का अनुमोदन होगा, परन्तु न्यूनतम दर के अलावा निविदा प्रपत्र में चाही गई निविदाकार की अन्य अर्हताएँ तथा चरित्र एवं अनुभव के प्रमाण पत्रों के आधार भी देखा जायेगा।

3(ब). निविदा प्रपत्र में वर्णित प्रत्येक अतिरिक्त योग्यताओं के आधार पर योग्य निविदाकार को वरिष्ठता दिये जाने का अधिकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा।

3(स) निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

3(द) निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जवाबदार होगा।

4(अ) निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरें, दर अनुमोदन उपरांत कार्य आदेश में दर्शाये तिथि से दो वर्ष हेतु मान्य रहेगी। यद्यपि दोनों की (उज्जैन दुग्ध संघ एवं सेवा प्रदाता) आपसी सहमति पर उक्त कार्य आदेश को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्घ संघ के अनुमोदन उपरांत एक–एक वर्ष कर आगामी 02 वर्षों हेतु बढ़ाया जा सकता है।

4(ब). किये गये कार्य के देयकों में से शासकीय नियमानुसार टी.डी.एस., वाटर चार्ज, लेबर वेलफेयर, सुरक्षानिधि इत्यादि का कटौत्रा किया जायेगा। सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

5. प्रत्येक निविदाकार स्वयं का या साझेदारी में हैं, का उल्लेख करते हुए स्वयं/साझेदारी/कंपनी का पेन जी.एस.टी. पंजीयन तथा का प्रमाण पत्र एवं नंबर उल्लेखित करें, यदि कंपनी हो तो, कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं उपरोक्तानुसार अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साझेदार फर्म को प्रत्येक साझेदार का नाम, पता एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्नित करनी होगी।

6.(अ) प्रत्येक निविदाकार फर्म को सी.पी.डब्ल्यू.डी./स्टेट पी.डब्ल्यू.डी/राज्य शासन/अर्धशासकीय/भारतीय रेल/निगम/मण्डल में सिविल कार्य (बिल्डिंग/विद्युत/सड़क–सेतु) का पाँच वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक होगा, साथ ही प्रत्येक तीन वर्ष में (वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18) बीस–बीस लाख या उससे अधिक की कम से कम तीन कार्य पूर्ण किये होने का प्रमाण पत्र एवं परफारमेंस रिपोर्ट संबधित विभाग से प्राप्त कर आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

7. निविदाकार स्वयं या साझेदारी/कंपनी के प्रोप्राईटर्स किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभाग/निगम मण्डल के वर्तमान या सेवानिवृत्त, सेवाकाल में अनियमितता पाये जाने पर निकाले गये कर्मचारी नहीं होना चाहिये तथा वर्तमान विधायक/सांसद/निगम/मण्डल/बोर्ड के अन्य पदाधिकारी अथवा नजदीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिये।

8. निविदाकार को सिविलकार्य की इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिये डिग्रीधारियों को सात वर्ष एवं डिप्लोमाधारियों को पंद्रह वर्ष का सिविल कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा तद्नुसार प्रमाण पत्र संलगित करें।

या

निविदाकार – स्वयं/साझेदारी/कंपनी द्वारा कम से कम एक सिविल/आर्किटेक्चर डिग्री/डिप्लोमा धारी के नियुक्ति किये जाने एवं उनके अनुभव का पुख्ता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलगित करना होगा।

9. निविदाकार के पास सिविल कार्य हेतु कॉक्रीट मिक्सिंग यूनिट, कम्प्रेशर, कॉक्रीट वाईब्रेटर, सर्वेयिंग लेवल, टेस्टिंग मशीन, डी.जी.सेट एवं वेल्डिंग प्लाण्ट इत्यादि मशीन/उपकरण हो उन्हें वरियता दी जा सकती हैं।

10. प्रत्येक निविदाकार को विगत तीन वित्तीय वर्ष का (2016–17, 2017–18, 2018–19) आयकर रिर्टन (चार्टर्ड अकाउंटेट के द्वारा प्रमाणित) की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना होगा।

11(अ) प्रत्येक निविदाकार को प्राधिकृत अधिकारी(विकास प्राधिकरण, नगर निगम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग) के द्वारा प्रमाणित नवीन चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना होगा, जो विगत छः माह से ज्यादा पुराना न हो।

11(ब) निविदा प्रस्तुतकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

11(स) निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

12. डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि (Defect Liability Period)

12.1 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये होगी।

12.2 डिफेक्ट लाएबिलीटी अवधि में कार्यो में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता हैं तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गऐ डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।

12.3 निर्धारित समयावधि में बताये गऐ डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से व्यय राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

12.4 प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से निम्नानुसार Liquidated Damage के रूप में राषि का कटौत्रा किया जावेगा।

क्रमांक	विलम्ब की अवधि	Liquidated Damage
1	एक माह	1 %
2	एक से दो माह	2 %
3	दो माह से अधिक	5%

12.5 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्यूरेंस एवं अन्य वैद्यानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

13. कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीकों में परिवर्तन हो सकता है जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।

14. यदि विभाग चाहे तो वह निविदाकार के स्वीकृत निविदा दर पर कोई अन्य कार्य भी करा सकते है जिसका भुगतान स्वीकृत दर अनुसार किया जावेगा तथा निविदाकार दिये गये कार्य को किये जाने हेतु बाध्य होगें।

15. यदि किसी नये आदेशित कार्य का आईटम एस.ओ.आर में न हो तो विभाग इस प्रकार के कार्यो की दर/दरों का निर्धारण बाजार दरों पर निर्धारण कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदन अनुसार दर से भुगतान किया जावेगा जोकि निविदाकार को मान्य व बंधनकारी होगी।

16. कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे– चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक

श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली उच्चगुणवत्ता की सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना एवं परिवहन व्यवस्था किया जाना जैसे रेंत,गिटट्ी सीमेंट,लोहा टूल्स आदि। दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री एवं श्रमिक प्रदाय नही की जावेगी।

17. यदि उपरोक्त निविदा के कार्यो में डिजाइन/ड्रॉइंग्स/विभिन्न कक्षो के लेआउट में परिवर्तन होता है तो निविदाकार को परिवर्तित डिजाईन/ड्रॉइंग्स/विभिन्न कक्षो के लेआउट के अनुसार कार्य करना होगा तथा सफल निविदाकार इस कंडिका अनुसार निर्देशित कार्य/कार्यों को किये जाने हेतु बाध्य होगें।

18. आवंटित निर्माण कार्यो विभागिय इंजीनियर/अधिकृत अधिकारी अथवा दुग्ध संघ के द्वारा नियुक्त किये गये तकनीकी सलाहकार/परामर्शकर्ता के दिशा निर्देशों के अनुरूप संतोषजनक पूर्ण होने पर ही उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जावेगा।

19. निर्माण कार्य का पूर्ण अथवा अंष भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को सबलेट (Sublet) नही किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो उक्त कार्य आदेश निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

20. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार यदि नही पाया जाता है एवं दी गई समय – सीमा मे कार्य पूर्ण नही किया जाता है तथा निविदा की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

21. निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन प्रथमतः दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी अथवा विभागीय इंजीनियर के द्वारा किया जावेगा। निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन तकनीकी सलाहकार/ विभागीय इंजीनियर द्वारा किये जाने के उपरांत देयकों का भुगतान देयक प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा।

22. निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदि का कटोत्रा नियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेगें, इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नही होगा।

23. समस्त निविदाकार को परिशिष्ट 'ब' में वॉछित जानकारी आवश्यक रूप से भरना होगी, तथा स्वंत प्रमाणित आवश्यक प्रमाण पत्र संलगित करने होंगे। प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा प्रपत्र अस्वीकार किया जा सकता हैं।

24. परिशिष्ट 'स' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना हैं।

25. यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की अधिनिर्णयार्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति उभय पक्ष की सहमति से होगी यदि इसमें विवाद है, तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रेटर एक्ट 1996 के अनुसार होगी व Arbitrator and Conciliator का निर्णय अंति होकर उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा। आब्रिट्रेटर की फीस का भुगतान दोनों पक्ष समानता से वहन करेंगे। यहां यह उल्लेखनिय है कि आर्बिट्रेटर विवाद को अधिकतम दो माह की अवधि में निराकरण करेंगे।

26. क्योंकि यह अनुबंध उज्जैन में निष्पादन किया जा रहा है इस कारण किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

An ISO-9001 : 2008 & ISO 22000 : 2005

Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@yahoo.com

क्रमांक/उ.दु.सं./नस्ती क्र. 91/यॉंत्रिकी/2020/4965 दिनांकः 08.12.2020

परिशिष्ट–ब

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, :
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
महोदय,

01	निविदाकार का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक/ई–मेल आई.डी.	
02	क्या निविदा स्वयं के नाम या साझेदारी/कंपनी के नाम भरा जा रहा हैं।	
03	साझेदारी/कंपनी का है तो, साझेदारों के नाम, पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई–मेल आई.डी. एवं पेन	
04	बी'/'सी' (B/C Class) सिविल ठेकेदार का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
05	निविदाकार स्वयं/साझेदारी/कंपनी का पेन जीएसटी नंबर तथा ई.पी.एफ. पंजीयन	
06	पाँच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (निविदा प्रपत्र के सामान्य शर्त बिंदु क्रमांक 6(अ)–(ब) में उल्लेख अनुसार)	
07	विगत तीन वर्ष में रूपये बीस लाख या अधिक के किये गये कार्य का प्रमाण एवं परफारमेन्स रिपोर्ट (निविदा प्रपत्र के सामान्य शर्त बिंदु क्रमांक 06(अ) में उल्लेख अनुसार)	
08	निविदाकार के स्वयं या निविदाकार द्वारा नियुक्त किये गये योग्य सिविल/आर्किटेक्चर इंजीनियर (डिग्री या डिप्लोमाधारी) की योग्यता प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
09	निविदाकार के पास उपलब्ध मशीनरी/ उपकरणों की सूची	
10	तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र (सामान्य नियम/शर्त–बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार)	
11	प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र सामान्य नियम/शर्त–बिंदु क्रमांक 11(अ) के अनुसार)	

(प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त वाँछित जानकारियों की प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)

मैं .... निवासी .... के द्वारा सत्यापित करता हूँ कि, उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य एवं सही हैं।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

निर्माण कार्य अनुभव संबधी विवरण :–

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण एवं वर्ष	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेष क्रमांक एवं दिनांक
01					
02					
03					
04					

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071
E-mail: udsplant@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / नस्ती क्र. 91 / यॉंत्रिकी / 2020 / 4965 दिनांकः 08.12.2020

परिशिष्ट–स

शपथ–पत्र

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.)

मैं .... निवासी .... शपथ लेता हूँ कि, मैं स्वयं या किसी साझेदार / प्रतिनिधि किसी भी शासकीय / अर्धशासकीय / निगम / मण्डल के वर्तमान या सेवानिवृत्त / किसी अनियमितता के कारण सेवा से कार्यमुक्त हुए कर्मचारी तथा विधायक / सांसद / निगम / मण्डल के अन्य पदाधिकारी अथवा नजदीकी रिष्तेदार नहीं हूँ। मेरे खिलाफ शासन के किसी विभाग, किसी बैंक इत्यादि के द्वारा वित्तीय अनियमितता होने पर कार्यवाही नहीं किया गया हैं। मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का अन्य आपराधिक रिपोर्ट दर्ज नहीं हैं।

उपरोक्त शपथ असत्य पाये जाने पर मेरे खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन अधिकृत रहेगा।

स्थानः–

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर
पूर्ण नाम एवं पता ....
- ....
मोबाईल नंबर ....
ई–मेल आई.डी. ....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071
E-mail: udsplant@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / नस्ती क्र. 91 / यॉंत्रिकी / 2020 / 4965 दिनांकः 08.12.2020

परिशिष्ट – (द)

निविदा (दर–पत्र)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के अधिन उज्जैन एवं अन्य दुग्ध संयंत्रों एवं शीत केन्द्रों पर कराये जाने वाले मरम्मत एवं छोटे सिविल निमार्ण कार्य हेतु एस.ओ.आर. दर

वर्तमान पी.डब्ल्यू.डी., एस.ओ.आर. से प्रतिशत अधिक / कम।
(PWD – SOR – 01-08-2014 & 03-08-2014 संसोधन सहित)(GST Extra)

हस्ताक्षर एवं सील(निविदाकर्ता)

(कृपया दर प्रतिशत अंक एव शब्दों में बिना कॉंट–छॉंट के लिखें)

(दर प्रपत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जाना है पंरतु परिषिष्ट–द की हस्ताक्षरित छायाप्रति पी.डी.एफ. फार्मेट में ऑनलाइन भी अपलोड करना होगी।)